निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 34 / 2023 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्री शंकरलाल, निवासी साई बाबा का मन्दिर के पास, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्रीमती पायल पत्नी स्व. श्री विजय, सिन्धी कालोनी, झूलेलाल मन्दिर, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम एच.पी.सी.एल.एवं 02 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर क्षमता 05 किलोग्राम आई.ओ.सी.एल. मय एल.पी.जी. 18.00 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय वायर 8 पीतल की बांसुरी को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सन्तोष कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से अवैध रूप से गैस रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 13.05.2023 को श्री कृष्णा गैस चूल्हा रिपेयर नामक दुकान, किसान कॉलोनी, मालपुरा गेट, चौकी सांगानेर, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर दुकान के पीछे श्री सुरेश को पीतलनुमा बांसुरी की सहायता से बडे घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे व्यवसायिक गैस सिलण्डरों में गैर रिफलिंग करता हुआ पाया गया तथा दुकान मालिक श्रीमती पायल पत्नी स्व. श्री विजय सिन्धी को बताया। मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम एच.पी.सी.एल., 02 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर क्षमता 05 किलोग्राम आई.ओ.सी.एल. एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय वायर 8 पीतल की बांसुरी पाई गई। जिनको मौके पर जब्त किया गया। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी. जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 12.06. 2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री संतोष कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में बहस पैरोकार रसद सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्री कृष्णा गैस चूल्हा रिपेयर नामक दुकान, किसान कॉलोनी, मालपुरा गेट, चौकी सांगानेर, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर दुकान के पीछे श्री सुरेश को पीतलनुमा बांसुरी की सहायता से बडे घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे व्यवसायिक गैस सिलण्डरों में गैर रिफलिंग करता हुआ पाया गया तथा दुकान मालिक श्रीमती पायल पत्नी स्व. श्री विजय सिन्धी को बताया। मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम एच.पी.सी.एल., 02 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर क्षमता 05 किलोग्राम आई.ओ.सी.एल. एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय वायर 8 पीतल की बांसुरी पाई गई। पुलिस स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आलोक मौके पर थाने पर उपस्थित अप्रार्थीगण के बयान दर्ज किये गये। बयानों में दोनो द्वारा घरेलू गैस के अवैध क्रय विक्रय एवं भण्डारण तथा बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस के हस्तान्तरण करना स्वीकार किया गया है। जब्त सामग्री को मौके पर मैसर्स सांगानेर गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री कानाराम चौधरी की सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के क्रय, विक्रय, भण्डारण, बेचान व वाहनो में गैस भरने के न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किये गये और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. विभागीय पैराकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का भंलीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गयें। दौराने जांच मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम एच.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 18.00 किलोग्राम एवं 02 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर क्षमता 05 किलोग्राम आई.ओ.सी.एल. एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय वायर 8 पीतल की बांसुरी पाई गई। अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का अवैध रूप से हस्तान्तरण किया जाना पाया गया। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से हस्तान्तरण कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थीगण की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम एच.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 18.00 किलोग्राम एवं 02 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर क्षमता 05 किलोग्राम आई.ओ.सी.एल. एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय वायर 8 पीतल की बांसुरी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 12.06.2023 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।

कलक्टर जयपुर जिला

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर